



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240965
CG-DL-E-10122022-240965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्रहायण 18, 1944

No. 639]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 9 दिसम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/110.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2001 में,
(1) विनियम 4 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा -

“परंतु यह कि कोई सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए बैठक में भाग ले सकेगा, लेकिन यदि कोई सदस्य ऐसा करना चाहता हो तो उसे इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव को पहले से ही समय रहते देनी होगी, और ऐसे मामलों में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2001 की अनुसूची-I में निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।”

(2) विनियम 11 में, शब्द “अनुसूची” के स्थान पर शब्द और चिह्न “अनुसूची-II” आ जाएंगे।

(3) विनियम 15 के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी -

“अनुसूची-I

[विनियम 4 देखें]

सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की अनुमति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

- I. कोई सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए बैठक में भाग ले सकेगा, लेकिन यदि कोई सदस्य ऐसा करना चाहता हो तो उसे इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव को पहले से ही समय रहते देनी होगी, ताकि इस संबंध में उपयुक्त इंतजाम किए जा सकें।
ऐसी कोई सूचना प्राप्त न होने पर यही माना जाएगा कि सदस्य बैठक में स्वयं उपस्थित होकर भाग लेगा।
- II. किसी सदस्य से ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के लिए जरूरी इंतजाम करेगा, ताकि वह सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए बैठक में भाग ले सके।
- III. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले सदस्य की गिनती भी कोरम में की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए भाग लेने वाले सदस्य के भी वही अधिकार और दायित्व होंगे, जो बैठक में स्वयं उपस्थित होकर भाग लेने वाले सदस्य के होते हैं।
- IV. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करते समय यह उल्लेख किया जाएगा कि उन सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भाग लिया, और ऐसे में यह माना जाएगा कि उन सदस्यों ने उपस्थिति रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
- V. बैठक के कार्यवृत्त में उन सदस्यों के ब्यौरे देने होंगे, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए बैठक में भाग लिया था।
- VI. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरी दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) व्यवस्था के जरिए बैठक में भाग लेने वाले सदस्य बोर्ड द्वारा सूचित किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक के जरिए बैठक में भाग लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे तथा पूरी सावधानी बरतेंगे कि:
 - क) इस प्रकार बैठक में शामिल होने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से और पहचान की पुष्टि करने के लिए निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, ताकि बैठक की मर्यादा पर कोई आँच न आए;
 - ख) बैठक के दौरान बैठक का लिंक किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को न मिले;
 - ग) वे बैठक के दौरान बैठक में शामिल अन्य सदस्यों को स्पष्ट रूप से देख और सुन पाएँ।”

(4) मौजूदा “अनुसूची”, “अनुसूची-II” बन जाएगी।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./460/2022-23]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th December, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROCEDURE FOR BOARD MEETINGS)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/110.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Board Meetings) Regulations, 2001, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Board Meetings) (Amendment) Regulations, 2022.
2. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Board Meetings) Regulations, 2001,
 - (1) in regulation 4, the following Proviso shall be inserted -

“Provided that a Member who intends to participate in a meeting through video conferencing or any other audio visual means, shall communicate the same, sufficiently in advance to the Chairperson or the Secretary of the Board and in such case, the procedure as specified in Schedule I to the SEBI (Procedure for Board Meetings) Regulations, 2001 shall be followed”.
 - (2) in regulation 11, the word “Schedule” shall be substituted with the words and symbols “Schedule-II”;
 - (3) after regulation 15, following Schedule shall be inserted –

“Schedule – I**[See Regulation 4]****Procedure for allowing Members to participate in Board meetings through video conferencing or other audio visual means**

- I. A Member may participate in the meeting through video conferencing or other audio-visual means, pursuant to communicating his intention sufficiently in advance to the Chairperson or Secretary to the Board to that effect so that suitable arrangements can be made.

In the absence of any intimation, it shall be assumed that the Member will be attending the meeting in person.
- II. On receipt of intimation from the Member, the Board shall make necessary arrangements of video conferencing or other audio visual means to enable such Member to attend the meeting through video conferencing or other audio visual means.
- III. A Member participating in a meeting through video conferencing or other audio visual means shall be counted for the purpose of quorum. A Member attending meeting through video conferencing or any other audio visual means, shall be vested with same rights and obligations as applicable in case of attending meeting in person.
- IV. Attendance of the Members participated through video conferencing or other audio visual means shall be recorded in the attendance register as “Participated through video conferencing” and the attendance register shall be deemed to have been signed by such Members.
- V. Minutes of the meeting shall disclose the particulars of the Members who attended the meeting through video conferencing or any other audio visual means.

- VI. *Members participating through video conferencing or any other audio visual means shall participate through the video conferencing link for the meeting provided by the Board and may ensure that due care is taken:*
- a) To safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedures to join the meeting;*
 - b) To ensure that no unauthorized person has access to the meeting link during the meeting;*
 - c) To ensure that they are able to hear and see the other participants clearly during the course of the meeting.”*
- (4) the existing “Schedule” shall be renumbered as “Schedule II”.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./460/2022-23]